<u>न्यायालयः –श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>व्य0वादप्रक0</u> <u>क0—164ए / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक 19.06.2014</u>

1.दर्शनदास उम्र—58 वर्ष पिता स्व0 गेन्दलाल, जाति पनिका, निवासी चिल्पी, तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम (छ0ग0)।

....वादी।

विरुद्ध

1.सुकमनदास उम्र 30 वर्ष पिता स्व0 निरपतदास, जाति पनिका, निवासी ग्राम छपला, तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

2.श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट।

3.गंगीनबाई उम्र—75 वर्ष पित स्व0 सोनदास पिता स्व0 गेन्दलाल, जाति पनिका, निवासी चिलपी, तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम (छ०ग०)।

4.गोमतीबाई उम्र—72 वर्ष पित स्व0 अकलदास पिता स्व0 गेन्दलाल, जाति पनिका, निवासी ग्राम छपला, तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

5.दशोदाबाई उम्र—62 वर्ष पित स्व0 पण्डितदास जाति पनिका, निवासी ग्राम छपला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

6.रमोतिनबाई उम्र—45 वर्ष पित गुल्लूदास पिता स्व0 पण्डितदास, जाति पनिका निवासी ग्राम हरभिट तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

7.कमलीबाई उम्र—40 वर्ष पित पुरुषोत्तमदास पिता स्व0 पण्डितदास, जाति पनिका, निवासी छपला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

🔁 निर्णय ः–

-:: दिनांक 28.11.2016 को घोषित ::-

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा छपला, प.ह.नं.४६ रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 53/2ग, 55/1ख रकबा

0.10 डि0 / 0.040 हे0, खसरा नंबर 54 / 2, 57 / 1, 63 / 3 रकबा 1.50 एकड़ / 0.607 हे0 एवं खसरा नंबर 53 / 2घ, 55 / 1क रकबा 0.10 डि0 / 0.040 हे0 की भूमि के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा एवं वसीयतनामा दिनांक 10.04.2013 को शून्य घोषित किये जाने के अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- 2. प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा स्वीकृत है कि वादी ग्राम चिलपी का निवासी है। यह भी स्वीकृत है कि वादी के भाई स्व0 हलकदास की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है। यह स्वीकृत है कि विवादित संपत्ति स्व0 हलकदास के स्वत्व की संपत्ति थी।
- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की 3. मोजा छपला, प.ह.नं.46 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 53/2ग, 55/1ख, 54/2, 57/1, 63/3, 53/2घ, 55/1क की भूमि है, जिसपर उसने मक्का, सरसो एवं धान की फसल लगाई है। वादी के स्वत्व की भूमि होने से राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बतौर मालिक दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त संपत्ति है, जो वादी के भाई स्व0 हलकदास के स्वत्व की संपत्ति थी और उसकी निःसंतान मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त भूमि पर बतौर वारसान वादी का नाम राजस्व अभिलेख में तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 39–3–6 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 के अनुसार दर्ज किया गया है। वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि दर्ज हो जाने पर प्रतिवादी कृमांक 01 ने एक कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेत् आवेदन पत्र प्रस्तृत किया, जिसके आधार पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 122ए-6 वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 29.08.2013 के माध्यम से प्रतिवादी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया। इस बात की सूचना न तो वादी को दी गई और न ही वादी को उसका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में पारित आदेश के विषय में अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है और आदेश का निष्पादन चाहा है।
- 4. वादी के पक्ष में राजस्व प्रकरण क्रमांक 393—6 वर्ष 2012—13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही यह आदेश किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। वादग्रस्त भूमि

स्व0 हलकदास के स्वत्व की संपत्ति थी, वह अनपढ़ व्यक्ति था और उसके द्वारा अपनी सपंत्ति के विषय में कोई भी वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। प्रतिवादी कमांक 01 सुखमनदास न तो स्व0 हलकदास का गोद पुत्र है और न ही स्व0 हलकदास के खानदान से संबंधित है। स्व0 हलकदास का किया—कर्म वादी द्वारा ही किया गया है। ऐसी स्थिति में कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 10.04.2013 को शून्य घोषित किया जावे। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक 01 सुखमनदास अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कमांक 01 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

- स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर 5. अपने जवाब में प्रतिवादी कमांक 01 ने यह कहा है कि वादी ने झूठे आधारों पर न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी आधिपत्य नहीं था और न ही प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास ने वादी के कब्जे की भूमि पर कभी भी हस्तक्षेप किया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी ग्राम छपला में कभी भी निवास नहीं करता था। प्रकरण में वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 हलकदास पिता गेंदलाल निःसंतान था और उसने प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास को बतौर गोदपुत्र अपने पास रखा था, इस संबंध में अलग से कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। स्व0 हलकदास की मृत्यु होने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास ने उसका अंतिम संस्कार किया था। स्व० हलकदास को वादग्रस्त भूमि बतौर पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी और उसने अपने जीवनकाल में ही अपनी संपत्ति की व्यवस्था कर दी थी। स्व0 हलकदास ने दिनांक 10.04.2013 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया था और ग्राम छपला, प.इ.नं..46 स्थित खसरा नंबर 53/2ग, 55 / 1ख, 54 / 2, 57 / 1, 63 / 3, 65 / 3 मौजा बंदनिया प.ह.नं.46 स्थित खसरा नंबर 29 / 1 रकबा 3.966 हे0 की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास को वसीयत कर दी थी। वादी ने विधि–विरूद्ध रूप से राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया था और प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वत्व की संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है।
- 6. वादी के दावें को अधिकांशतः स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 03, 04, 05, 06 एवं 07 ने यह कहा है कि स्व0 हलकदास तथा उसकी पत्नी पांचोबाई की ला–औलाद मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास न तो स्व0

हलकदास का गोद पुत्र है और न ही उसका लालन—पालन स्व० हलकदास ने किया है। स्व० हलकदास की संपत्ति उसके भाई वादी दर्शनदास को प्राप्त हुई है इसलिये तहसीलदार बिरसा ने उसके पक्ष में नामांतरण किया था। स्व० हलकदास द्वारा दिनांक 10.04.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1 &	क्या वसीयतनामा दिनांक 10.04.2013 कूटरचित होने से प्रभावशून्य है ?	अप्रमाणित
22	क्या ग्राम छपला प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 53/2ग, 55/1ख, 54/2, 57/1, 63/3, 53/2घ, 55/1क की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है?	अप्रमाणित
3	सहायता एवं खर्च ?	निर्णय की कंडिका 15 के अनुसार

वादप्रश्न क01 का निष्कर्षः-

8. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी दर्शनदास वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि उसके स्वत्व की संपत्ति मौजा छपला, प.ह.नं.46 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 53/2ग, 55/1ख, 54/2, 57/1, 63/3, 53/2घ, 55/1क की भूमि है जो पूर्व में उसके भाई स्व0 हलकदास की पैतृक संपत्ति थी। स्व0 हलकदास की मृत्यु होने के पश्चात राजस्व प्रकरण क्रमांक 39—3—6 वर्ष 2012—13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 के अनुसार वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास द्वारा तहसीलदार

बिरसा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 1223-6 वर्ष 2012-13 कायम हुआ और कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 29.08.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 29.08.2013 वादी पर बंधनकारी नहीं है और प्रभावशून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम कूटरचित वसीयत दिनांक 10.04.2013 के आधार पर दर्ज कराया था इसलिये वसीयत दिनांक 10.04.2013 को शुन्य घोषित किया जाना चाहिये। प्रकरण में वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 39अ-6 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.06 अभिलेख पर प्रस्तृत की है। उपरोक्त प्र.पी.06 दस्तावेज के आदेश में इस बात का उल्लेख है कि खातेदार हलकदास वल्द गेंदलाल की मृत्यु हो जाने से एवं उसका कोई वारिस न होने से उसके भाई दर्शनदास वल्द गेंदलाल का नाम वादग्रस्त संपत्ति पर इंद्राज किया जावे। बादी ने स्व0 हलकदास के वसीयत दिनांक 10.04.2013 को कूटरचित दस्तावेज बताया है परन्तु वसीयत दिनांक 10.04.2013 अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है और न ही वादी दर्शनदास वा.सा.01 ने ऐसा कोई तथ्य अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिससे वसीयत दिनांक 10.04.2013 को कूटरचित दस्तावेज माना जा सके। किसी भी दस्तावेज को कूटरचित साबित करने के लिये वह दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किया जाना प्रथमतः आवश्यक है। इसके पश्चात दस्तावेज किन परिस्थितियों में कूटरचित अथवा प्रभावशून्य है इस विषय में प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि स्व0 हलकदास के बतौर गोद पुत्र उसने स्व0 हलकदास का अंतिम संस्कार किया था और हलकदास ने दिनांक 14.04.2013 को वसीयतनामा निष्पादित कर मौजा छपला प.ह.नं.46 खसरा नंबर 53/2ग, 55/1ख, 57/1, 63/3, 65/3 भूमि एवं मौजा बंदिनया प.ह.नं.46 खसरा नंबर 29/1 कुल रकबा 3.966 हेक्टेयर की भूमि प्रतिवादी सुखमनदास को वसीयत कर दी थी। प्रतिवादी कमांक 01 सुखमनदास प्र.सा.01 ने अपने पक्ष समर्थन में प्र.डी.01 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। यह दस्तावेज राजस्व प्रकरण क्रमांक 1223—6 वर्ष 2012—13 में दिनांक 29.08.2013 को तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश है। प्र.डी.01 दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है कि वसीयतनामें के आधार पर स्व0 हलकदास की संपत्ति मौजा छपला प.ह.नं.46 खसरा नंबर 53/2ग, 55/1ख, 57/1, 63/3, 65/3

भूमि एवं मौजा बंदिनया प.ह.नं.46 खसरा नंबर 29/1 कुल रकबा 3.966 हेक्टेयर की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास का नामांतरण वादग्रस्त भूमि पर किया जावे, ऐसा आदेश किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी यशवंत माग्रे प्र.सा.02 तथा लक्ष्मणदास प्र.सा.03 द्वारा भी अपने शपथ पत्र में किया गया है।

- प्रकरण में उभयपक्ष ने वसीयत दिनांक 10.04.2013 का उल्लेख अपने अभिवचन में किया है और वादी दर्शनदास ने यह भी कहा है कि यह वसीयत स्व0 हलकदास ने निष्पादित नहीं की थी और प्रतिवादी सुखमनदास का यह कहना है कि स्व0 हलकदास ने उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। वसीयत दिनांक 10.04.2013 दोनों ही पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही वादी दर्शनदास द्वारा वसीयत के कूटरचित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वसीयत दिनांक 10.04.2013 कूटरिचत दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.०१ ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम पर नामांतरित कराई थी। उपरोक्त वसीयत तथा नामांतरण प्रकरण की जानकारी होने पर भी वादी द्वारा नामांतरण प्रकरण की कार्यवाही अथवा प्रश्नगत वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी भी दस्तावेज के कूटरचित होने के लिये वह परिस्थितियाँ अथवा वे तथ्य जो उस दस्तावेज को कूटरचित होना साबित करे प्रकरण में साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक होता है, मात्र मौखिक अभिवचन की दस्तावेज कूटरचित है, इसके लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता। वादी दर्शनदास वा.सा.०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने उपरोक्त वसीयतनामा देखा है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने गवाह के तौर पर वसीयत पर मन्नुलाल एवं लक्ष्मणदास के हस्ताक्षर देखे है। संपूर्ण जानकारी होने पर भी वादी दर्शनदास वा.सा.01 ने यह वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जबकि वह इस वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व प्रकरण से प्राप्त करने में सक्षम था।
- 11. वसीयत के विषय में प्रतिवादी साक्षी लक्ष्मणदास प्र.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वसीयतनामा तहरीर होने की दिनांक 14.04.2013 है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य दिनांक पर वसीयत तहरीर नहीं हुई थी। प्रतिवादी साक्षी लक्ष्मणदास प्र.सा.03 ने अपने शपथ पत्र में भी वसीयत निष्पादित होने की तिथि 14.04.2013 लेख की है। प्रतिवादी साक्षी यशवंत माग्रे प्र.सा.02 ने भी अपने

प्रतिपरीक्षण में वसीयत निष्पादित होने की तिथि 14.04.2013 बताई है। अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्षियों के कथन में बसीयत की दिनांक 10.04.2013 का उल्लेख है। मूलतः वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से उपरोक्त संबंध में भी कोई निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं है। वादी दर्शनदास वा.सा.01 द्वारा वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत न किये जाने से अथवा इस विषय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से कि वसीयत कूटरचित है, वह वसीयत कूटरचित होना प्रमाणित नहीं होना माना जा सकता। ऐसी स्थिति में वादप्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्मांक 02 का निष्कर्षः-

वादी दर्शनदास वा.सा.०१ का यह कहना है कि वादग्रस्त संपत्ति मौजा छपला प.ह.नं.46 खसरा नंबर 53 / 2ग, 55 / 1ख रकबा 0.10 डिसमिल तथा खसरा नंबर 54 / 2, 57 / 1, 63 / 3 रकबा 1.50 एकड़ एवं खसरा नंबर 53 / 2घ, 55 / 1क रकबा 0.10 डिसमिल की भूमि है जो उसके आधिपत्य की भूमि है, जिसपर प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। वादी दर्शनदास वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि उपरोक्त विवादित भूमि पर दिनांक 17.06.2014 को वह खेती कर रहा था, तभी प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास विवादित भूमि पर आया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास ने उसे यह भी धमकी दी है कि वह विवादित भूमि पर कब्जा कर लेगा। विवादित भूमि के विषय में वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने ऋण-पुस्तिका क्रमांक ८४९५१७ प्र.पी.०१ अभिलेख पर प्रस्तुत की है, खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2015-16 प्र.पी.02 की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है. नक्शा प्रिंट आउट प्र.पी.03. नक्शा प्रिंट आउट प्र.पी.04. किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2015—16 प्र.पी.05 एवं तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश प्र.पी.06 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.पी.02 खसरा फार्म पी–2 में इस बात का उल्लेख है कि खसरा नंबर 53 / 2ग, 55 / 1ख रकबा 0.040 हे0 एवं खसरा नंबर 54 / 2, 47 / 1, 63 / 3, 65 / 3 रकबा 0.607 हेक्टेयर की भूमि वादी दर्शनदास वा.सा.01 के नाम पर दर्ज होना दर्शित है। प्र.पी.05 दस्तावेज में भी खसरा नंबर 53 / 2ग, 55 / 1ख रकबा 0.040 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 54 / 2, 47 / 1, 63 / 3, 65 / 3 रकबा 0.607 हेक्टेयर की भूमि वादी दर्शनदास के नाम पर वर्ष 2015–16 में किश्तबंदी खतौनी में दर्ज होना दर्शित है। उपरोक्त दस्तावेज वादी ने अपने आधिपत्य को सिद्ध करने के लिये अभिलेख पर प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.०१ ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वादी दर्शनदास ग्राम चिलपी तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम में विगत 50 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहा है तथा उसका वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी सुखमनदास ने प्र.डी.02 ऋण-पुस्तिका क्रमांक 905511 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नंबर 53 / 2ग, 55 / 1ख रकबा 0.040 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 54/2, 57/1, 63/3 रकबा 0.607 हेक्टेयर की भूमि स्व0 हलकदास वल्द गेंदलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना दर्शित है। प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.०१ ने यह कहा है कि विवादित भूमि के पूर्व स्वामी स्व0 हलकदास ने उसके स्वत्व की संपत्ति की व्यवस्था की थी और प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.01 के पक्ष में दिनांक 14.04.2013 को वसीयत निष्पादित की थी। स्व0 हलकदास के जीवनकाल में उसका आधिपत्य विवादित भूमि पर था और उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सुखमनदास विवादित भूमि का आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.०१ के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी यशवन्त माग्रे प्र.सा.02 ने भी अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास का आधिपत्य है और वादी दर्शनदास विगत 50 वर्षों से अधिक समय से ग्राम चिलपी तहसील बोडला जिला कबीरधाम छत्तीसगढ में निवास करता है। वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह अपने परिवार सहित ग्राम चिलपी में रहता है। वादी ने स्वतः कहा कि वह ग्राम छपला आता-जाता रहता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्षी से यह पूछा गया है कि उसकी ग्राम छपला में जमीन-जायदाद है या नहीं तब साक्षी दर्शनदास वा.सा.01 ने स्वीकार किया है कि ग्राम छपला में विवादित भूमि के विषय में उसने कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी साक्षी यशवंत प्र.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्व0 हलकदास एवं सुखमनदास साथ ही रहते थे। प्रतिवादी साक्षी यशवंत प्र.सा.02 ने यह भी कहा है कि हलकदास की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका किया-कर्म प्रतिवादी सुखमनदास प्र.सा.०1 ने किया था वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने नहीं किया था। प्रतिवादी साक्षी लक्ष्मणदास प्र.सा.03 से प्रतिपरीक्षण में यह पूछा गया कि वादग्रस्त भूमि में कितनी बंधियाँ है अथवा जमीन के चारों ओर किस-किस व्यक्ति की जमीनें है तब साक्षी ने यह कहा है कि उसे वादग्रस्त भूमि में कितनी बंधियाँ है उसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने जमीन की पहचान के रूप में बताया है कि पूर्व दिशा में बन्नूलाल, पश्चिम में यशवंतदास की भूमि है जिससे कि साक्षी को वादग्रस्त भूमि की पहचान होना प्रकट हो रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि वर्तमान में

वादग्रस्त भूमि पर खेती प्रतिवादी सुखमनदास के साथ सुखरितदास एवं गूंगा शामिल–शरीक करते है।

प्रकरण में विवादित संपत्ति पूर्व में स्व० हलकदास के स्वत्व की 14. संपत्ति थी एवं इसका राजस्व अभिलेख में नाम का इंद्राज होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। इसके विपरीत विवादित भूमि के विषय में स्व0 हलकदास वल्द गेंदलाल के नाम पर बनी ऋण-पुस्तिका अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सुखमनदास का यह कहना है कि विवादित भूमि वसीयत के माध्यम से स्व0 हलकदास ने उसे दी थी। यद्यपि वह वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु यदि प्रतिवादी साक्षी यशवन्त माग्रे प्र.सा.02 के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो उसने कहा है कि स्व0 हलकदास द्वारा निष्पादित वसीयतनामा पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये थे। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि स्व0 हलकदास प्रतिवादी क्रमांक 01 स्खमनदास के साथ रहता था और प्रतिवादी स्खमनदास प्र.सा.01 ने रोजगार पत्र प्र.डी.03 तथा प्र.डी.04 राशन कार्ड दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इन दस्तावेजों में स्व0 हलकदास के परिवार के विवरण में सुखमनदास बतौर पुत्र / भतीजा दर्ज होना दर्शित है। वादी दर्शनदास वा.सा.०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह ग्राम चिलपी में रहता है, ग्राम छपला में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के भौतिक आधिपत्य की स्थिति भी वादी दर्शनदास की होना प्रमाणित नहीं हो रही है। अतः वादी दर्शनदास विवादित भूमि के आधिपत्य में होना प्रमाणित नहीं होने से उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च:-

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति मौजा छपला, प.ह.नं.46 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 53/2ग, 55/1ख रकबा 0.10 डि0/0.040 हे0, खसरा नंबर 54/2, 57/1, 63/3 रकबा 1.50 एकड़/0.607 हे0 एवं खसरा नंबर 53/2घ, 55/1क रकबा 0.10 डि0/0.040 हे0 की भूमि के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा तथा वसीयतनामा दिनांक 10.04.2013 को शून्य घोषित किये जाने के अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

- 1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा छपला, प.ह.नं.46 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 53/2ग, 55/1ख रकबा 0.10 डि0 / 0.040 हे0, खसरा नंबर 54 / 2, 57 / 1, 63 / 3 रकबा 1.50 एकड़ / 0.607 हे0 एवं खसरा नंबर 53 / 2घ, 55 / 1क रकबा 0.10 डि0 / 0.040 हे0 भूमि के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने तथा वसीयतनामा दिनांक 10.04.2013 को शून्य घोषित किये जाने का अधिकारी नहीं है।
 - 2. वादी अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय वहन करेगा।
 - 3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / – (श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

ं/ंग्लाश शुक्त
ंयाधीश वर्ग-1, सही / –